

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/26/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 11001

दिनांक: 30 सितंबर, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - AD/SSR/013/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित N,N'-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीइमाइड (डी सी सी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 7/26/2026-DGTR: क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित N,N'-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीइमाइड (जिसे इसके बाद “डी सी सी” अथवा “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है।

अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि शुल्क की अवधि समाप्त

होने से पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति और क्षति की संभावना है या नहीं। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति की संभावना है या नहीं।

क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा. सं. 06/53/2020-DGTR दिनांक 25 फरवरी 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 24 फरवरी 2022 के अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 12/2022-कस्टम्स (ए डी डी) दिनांक 28 अप्रैल 2022 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया। पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में 27 अप्रैल 2027 तक लागू है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

“3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडीइमाइड है, जिसे N,N'-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीइमाइड, डी सी सी और 1,3-डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडीइमाइड (डी सी सी) के नाम से भी जाना जाता है, जो संबद्ध देश के मूल का अथवा वहां से निर्यातित है। डी सी सी रासायनिक सूत्र $(C_6H_{11}N)_2C$ वाला एक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है, जो द्रव अथवा अर्ध-ठोस रूप में पाया जाता है और इसमें मीठी गंध होती है। इसका प्राथमिक उपयोग कृत्रिम पेप्टाइड संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए होता है। इस पदार्थ का निम्न गलनांक इसे आसानी से संभालने के लिए पिघलाने की सुविधा देता है। यह डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एसीटोनाइट्राइल और डाइमिथाइलफॉर्माइड में अत्यधिक घुलनशील है, लेकिन पानी में अघुलनशील है और संबद्ध वस्तु का केमिकल एबस्ट्रैक्ट्स सर्विस रजिस्ट्री नंबर 538-75-0 है।”

3. वर्तमान जांच सनसेट समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व में की गई जांचों में परिभाषित दायरे के समान ही रहेगा।
4. डी सी सी एक निर्जलीकरण अभिकर्मक है, जो एक रासायनिक 'आणविक गोंद' के रूप में कार्य करता है और पानी को हटाकर अणुओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक अम्लों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है ताकि वे अल्कोहल या अमीन के साथ बंध बना सकें तथा प्रोटीन, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसे वैलासाइक्लोविर और अमीकासिन जैसी एंटीरेट्रोवायरल एपीआई दवाओं के लिए एक प्रमुख कच्चा माल माना जाता है। संबद्ध वस्तु का उपयोग ग्लूटाथियोन निर्जलक के रूप में एमिकासिन के निर्माण तथा एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन और आइसोसाइनेट, पेप्टाइड्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी किया जाता है।
5. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 29 के अंतर्गत 2925 1900 और 2925 2990 वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत किया गया है तथा इसे एचएस कोड 2921 2990, 2924 1900, 2924 2990, 2925 2910, 2933 3990 और 2941 9090 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. घरेलू उद्योग ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियां उस तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस तारीख को आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने संबंधी सूचना-पत्र भेजे जाते हैं।

ग. समान वस्तु

7. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से

आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए सनसेट समीक्षा जांच है। समान वस्तु का मुद्दा मूल जांच में भी प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांचा जा चुका है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश में उत्पादित और वहां से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

8. आवेदन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और उसका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो संबद्ध देश नहीं है, संबद्ध वस्तु की नगण्य मात्रा का आयात किया है।
9. उपर्युक्त के मद्देनजर तथा आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 100% है और यह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता को भी पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

10. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च. जांच की अवधि

11. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 - 31 मार्च 2026 मानी है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए, चीनी उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को संबद्ध वस्तु की कीमत अथवा भारत में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात की कीमत के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका। आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया है कि चूंकि अनेक उत्पादों का आयात और निर्यात समान टैरिफ मदों के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से और उसके लिए होने वाले व्यापार में संबद्ध वस्तु की कीमतों का पता नहीं लगाया जा सकता।
14. तदनुसार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्मित किया गया है, अर्थात् घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत समायोजित करते हुए तथा इसमें युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर।

ii. निर्यात कीमत

15. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआईएंडएस में रिपोर्ट की गई संबद्ध वस्तु की CIF कीमत के आधार पर की गई है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के मद में कीमत समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति का आरोप लगाते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां दी हैं।

ज. क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना और कारणात्मक संबंध

17. वर्तमान जांच सनसेट समीक्षा होने के कारण, प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि लागू शुल्क की समाप्ति या निरसन से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना होगी या नहीं।
18. आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार केवल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा में कमी आई है, जो आवेदक के अनुसार, यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के उत्पादक गैर-पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की आयातित-स्थल कीमत में कमी आई है और यह घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव बनाए हुए है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त और निष्क्रिय क्षमताएं हैं, जो चीन जन. गण. तथा भारत दोनों में मांग से बहुत अधिक हैं, और ऐसी निष्क्रिय क्षमताओं के बावजूद उन्होंने आगे क्षमता विस्तार की योजना बनाई है; कि अकेले चीन जन. गण. के सबसे बड़े उत्पादक की क्षमता भारत में मांग से अधिक है; और संबद्ध देश के उत्पादक निर्यात-उन्मुख हैं, जिनके कुल उत्पादन का आधे से अधिक निर्यात किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि

चीन जन. गण. से आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों से भारत की ओर निर्यात के विचलन की संभावना है, जो अपने बड़े एपीआई विनिर्माण आधार के कारण एक आकर्षक बाजार है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध आयात महत्वपूर्ण मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करने की संभावना रखते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा और इस प्रकार उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

झ. सनसेट समीक्षा की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पढ़ते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा सनसेट समीक्षा शुरू करते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है या नहीं।

ञ. प्रक्रिया

21. सनसेट समीक्षा में दिनांक 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना फा. सं. 06/53/2020-DGTR के माध्यम से प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

22. नियमावली के नियम 23(2) के अनुसार, नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान वर्तमान समीक्षा पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित प्रस्तुति इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर, कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित जांच में आगे के घटनाक्रम

से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

A. ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी AD/SSR/013/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की निर्धारित समय सीमा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं

किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम 1 दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
34. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति, जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक तथा प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।
35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसी अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय संस्करण में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए

उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की मूलतः प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए और गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाए।
38. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, इस संबंध में पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
41. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 30-09-2026
13:17:43
(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी